

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तारानगर (चूरु)

पीठासीन अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार (आर.ए.एस.)

अनुवान राजकुमार बनाम राजस्थान सरकार

प्रार्थना-पत्र संख्या - 281/2025

निर्णय दिनांक 10/09/2025

राजकुमार पुत्र अमर सिंह जाति जाट निवासी धीरवास छोटा तहसील तारानगर जिला चूरु।

-प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तारानगर जिला चूरु।

-अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

-:निर्णय:-

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में कृषि भूमि रोही मौजा धीरवास छोटा पटवार हल्का धीरवास तहसील तारानगर के खाता संख्या 111 के खसरा सं. 1199 तादादी 0.2023 हैक्ट., ख.नं. 1260 तादादी 0.6070 हैक्ट., ख.नं. 1262 तादादी 0.4552 हैक्ट., ख.नं. 1282 तादादी 5.7408 हैक्ट., ख.नं. 1305 तादादी 0.5690 हैक्ट. भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में सहखातेदार दर्ज है। प्रार्थी का कथन है कि उक्त खसराजात रोही के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम रामकुमार पुत्र अमरसिंह अंकित है जो गलत है जबकि प्रार्थी का वास्तविक नाम राजकुमार पुत्र अमर सिंह है। प्रार्थी के अन्य दस्तावेजो यथा आधार कार्ड, मूलनिवास प्रमाण पत्र एवं बैंक पासबुक आदि में नाम राजकुमार पुत्र अमर सिंह है। राजस्व रिकॉर्ड में भिन्न नाम होने के कारण प्रार्थी राज्य सरकार व केन्द्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त नहीं कर पा रहा है। जिससे प्रार्थी को काफी नुकसान हो रहा है। इसलिये प्रार्थी उक्त खसराजात की जमाबंदी में अपना नाम दुरुस्त करवाना चाहता है। इसलिए प्रार्थना पत्र पेश कर रहा है। अतः उक्त खसराजात कृषिभूमि में प्रार्थी का नाम रामकुमार पुत्र अमरसिंह के बजाय राजकुमार पुत्र अमर सिंह किये जाने का आदेश प्रदान करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। नायब तहसीलदार साहवा से जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। जांच रिपोर्ट में पटवार हल्का ने प्रार्थी का नाम रामकुमार पुत्र अमरसिंह व राजकुमार पुत्र अमर सिंह दोनों नाम एक ही व्यक्ति का होना अंकित किया है। राजपैरोकार ने जांच रिपोर्ट के अलावा कोई जवाब पेश नहीं किया। प्रकरण का कोई खण्डन पेश नहीं हुआ।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। नायब तहसीलदार साहवा की रिपोर्ट व संलग्न दस्तावेज आधार कार्ड, मूलनिवास प्रमाण पत्र एवं बैंक पासबुक में प्रार्थी का नाम राजकुमार पुत्र अमर सिंह पाया जाता है। राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम रामकुमार पुत्र अमरसिंह अंकित है। नाम में भिन्नता से प्रार्थी को परेशानी होना सम्भव है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा कृषि भूमि रोही मौजा धीरवास छोटा पटवार हल्का धीरवास तहसील तारानगर के खाता संख्या 111 के खसरा सं. 1199 तादादी 0.2023 हैक्ट., ख.नं. 1260 तादादी 0.6070 हैक्ट., ख.नं. 1262 तादादी 0.4552 हैक्ट., ख.नं. 1282 तादादी 5.7408 हैक्ट., ख.नं. 1305 तादादी 0.5690 हैक्ट. भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज प्रार्थी का नाम रामकुमार पुत्र अमरसिंह Delete कर इसके स्थान पर राजकुमार पुत्र अमर सिंह अंकित कर राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती के आदेश दिये जाते हैं तथा शेष राजस्व रिकॉर्ड यथावत रखा जाए। न्यायालय का यह निर्णय अपीलीय है। निर्णय की प्रति तहसीलदार तारानगर को राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली फ़ैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 10/09/2025 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।



*Rajendra*  
(राजेन्द्र कुमार आर.ए.एस.)  
उपखण्ड अधिकारी  
तारानगर (चूरु)